

139/2007

उनवान

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
मे जारी हुए


नांक

प्रेमकंठर v/s देवी सिंह वर्मा

17/3/25 पञ्जावली पेश हुई। वादीगण अनुपस्थित।  
 वादी आधीवक्ता अनु.। उत्तरीवादीगण एवं उत्तरीवादी  
 आधीवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी आधी.  
 को नियमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई गई,  
 वादी उकार उत्तरीवादीगण एवं उत्तरीवादी आधीवक्ता  
 को भी नियमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई  
 गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण,  
 उत्तरीवादीगण तथा उपापनसकारण आधीवक्तागण  
 के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद,  
 अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 संवैधानिक कानूनकारी  
 आधीनियम को अदम्य (अदम्य पैकी में  
 स्थापित किया जाता है) निर्णय करे इतलास  
 सुनाया गया। रिक्ती पचां जारी ली।

पञ्जावली फैसल सुना लोकर

वाकील दफ्तर ही तथा नम्बर से कम ही।



17/3/25

सहायक कलक्टर  
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. प्रेमकंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भगवान सिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. दीप कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नाहर सिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक प्रेमकंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. देबीसिंह पिता प्रताप सिंह राजपूत निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता नानालाल महाजन निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बलवन्त सिंह पिता नानालाल महाजन निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जमना देवी पत्नी रामचन्द्र कलाल निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामगोपाल पिता रामचन्द्र कलाल निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

## प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 139/2007 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन अनुपस्थित एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल जी बापना अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 17.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
17/3/2025  
सहायक कलक्टर  
(भीलवाड़ा)  
भीलवाड़ा